


छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर
 // आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 30/09/2022

क्रमांक एफ 1-32/2022/मबावि/50 :: राज्य शासन एतद्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर, आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क.	बाल विकास परियोजना अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्थानांतरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकी. बाल विकास परियोजना खरसिया, जिला रायगढ़	बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकी. बाल विकास परियोजना मुंगेली-1, जिला-मुंगेली,	प्रशासनिक
2	श्री बजरंग प्रसाद साण्डे	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना लोरमी, जिला-मुंगेली	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा शहरी, जिला-कोरबा	प्रशासनिक
3	श्रीमती लता श्रीवास्तव	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना सीपत, जिला-बिलासपुर	अधीक्षक प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक) बिलासपुर	प्रशासनिक
4	श्रीमती चिंतामणि सिन्हा	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कोन्टा-2 (दोरनापाल) जिला-सुकमा	प्रशासनिक
5	श्री अजय साहू	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण, जिला-दुर्ग	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद	प्रशासनिक
6	श्रीमती उषा झा	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण, जिला-दुर्ग	प्रशासनिक

क्रमशः...2



7	श्रीमती सरोजनी चौधरी	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना पाटन, जिला-दुर्ग	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना रायपुर शहरी-2, जिला-रायपुर	प्रशासनिक
8	श्री सोमनाथ राजपूत	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना रायपुर शहरी-02, जिला-रायपुर	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना डौण्डी-2, जिला-बालोद	प्रशासनिक
9	श्री जागेश्वर सोरी	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना तरेगांव जंगल (बोड़ला-2), जिला-कबीरधाम	प्रशासनिक


2/ उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापना हेतु स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022 का पालन किया गया है।

3/ उपरोक्त स्थानान्तरित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त समयावधि के भीतर भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वमेव भारमुक्त माने जायेंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4/ संबंधित अधिकारी यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश से व्यथित हो, तो वह आदेश जारी तिथि से 15 दिवस के भीतर, शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अपना अभ्यावेदन 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है।

5/ उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(विजया खोस्ला) 30/09/22
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 30/09/2022

पृ० क्र० एफ 1-32/2022/मबावि/50
प्रतिलिपि:-

- 1- अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, मान. मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
- 2- विशेष सहायक, मा. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.।

- 3- उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, अटल नगर, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 4- महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त संभाग छ.ग.।
- 6- संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर।
- 7- कलेक्टर, जिला-रायपुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग/कोरबा/मुंगेली/राजनांदगांव /सरगुजा /सुकमा/बालोद/कबीरधाम, छ.ग.।
- 8- संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर।
- 9- जिला कोषालय अधिकारी, जिला-रायपुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग/कोरबा/मुंगेली/राजनांदगांव /सरगुजा /सुकमा/बालोद/कबीरधाम, छ.ग.।
- 10- जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला-रायपुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग/कोरबा/मुंगेली/राजनांदगांव /सरगुजा /सुकमा /बालोद/कबीरधाम, छ.ग.।
- 11- संबंधित अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। कृपया नवीन पदस्थापना स्थल पर 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 12- आदेश फोल्डर।


अवर सचिव 30/09/22
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग